जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बैतूल(म.प्र)

कमांक/लेखा/2021–22/1258 बैतूल दिनांक 14 JUL 2021

–सनदी लेखाकारो की सेवाये प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति–

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुख्यालय बैतूल एवं बैंक की जिले मे 16 शाखाओ के लिए वर्ष 2021–22 हेतु त्रैमासिक आधार पर सतत् अंकेक्षण हेतु सनदी लेखाकारों का चयन किया जाना है।

इस हेतु सनदी लेखाकार फर्मो से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

उपरोक्त कार्य हेतु शर्ते निम्नवत् होगीः–

1. सनदी लेखापाल फर्म की योग्यता एवं अनुभव के मापदंड सामान्यतः वैधानिक संपरीक्षा हेतु निर्धारित मापदंडो के अनुरूप होंगे जिसमे न्यूनतम योग्यता के लिए फर्म मे दो सनदी लेखपालो का जिसमे एक एफसीए, फुलटाईम पार्टनर हो तथा फर्म पंजीयन दिनांक से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुकी हो। बैंक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र तथा समीपस्थ जिलो में फर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मापदंडो मे आवश्यकतानुसार संशोधन कर निर्धारण किया जा सकता है।
2. सनदी लेखापाल फर्म का श्रेणीकरण मुख्यालय/शाखाओ के कारोबार के आधार पर किया जाना है। सनदी लेखापाल फर्म के पास सीसा/ डीसा प्रमाण पत्र तथा वाणिज्यिक बैंको का तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
3. सनदी लेखापाल फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक ,नाबार्ड तथा पंजीयक के निर्देशो का पालन करना आवश्यक होगा।
4. समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म को दिया गया संपरीक्षण का कार्य किसी अन्य फर्म को इनके द्वारा नही दिया जा सकेगा।
5. आवेदक को कंपनी अधिनियम की धारा 226 के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
6. समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म के किसी साझेदार/निदेशक द्वारा बैंक / बैंक की शाखाओ का सांविधिक अंकेक्षण,सतत् अंकेक्षण, स्थायी संपत्ति के मूल्यांकक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।
7. फर्म को सहकारी बैंक /बैंको के आंतरिक/ सांविधिक अंकेक्षण का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।
8. ऐसी फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी,जिनका कार्यालय बैंक कार्यक्षेत्र में स्थित है।
9. कोई भी संपरीक्षक बैंक का लगातार दो वर्ष से अधिक अवधि का सतत् अंकेक्षक नही हो सकता है।
10. किसी फर्म को अधिकतम 5 शाखाऐं आवंटित की जा सकती है। बैंक को आंवटित शाखाओ को आवंटन के उपरांत बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. यदि फर्म किसी पार्टनर /प्रोपराईटर के बैंक के किसी कर्मचारी/पदाधिकारी/संचालक से पारिवारिक संबंध होने की दशा में उसका आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
12. बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति बैंक के संचालक मंडल द्वारा की जावेगी।
13. बैंक द्वारा परीक्षक की नियुक्ति के उपरान्त परीक्षक द्वारा अभिस्वीकृति पत्र बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में बैंक को देना होगा।

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT BETUL

14. अंकेक्षक फर्म को बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में तथा बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। अंकेक्षक को सभी आवश्यक रिपोर्ट सत्यापित करना होगी।
15. एन.पी.ए. प्रावधान, बीमा, लाभ–हानि खाते एवं विभिन्न टैक्स से संबंधित सलाह बैंक को देना होगी।
16. जिन अंकेक्षण फर्मो का समवर्ती लेखा परीक्षक हेतु चयन होता है, उन फर्मो को बैंक द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु पत्र दिया जावेगा। इस हेतु 07 दिवस की समयावधि दी जावेगी।
17. संबंधित अंकेक्षण फर्म द्वारा अभिस्वीकृति पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज 03 प्रतियों में मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मुख्यालय बैतूल को सीधे प्रेषित किये जावेंगे।
   i. पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
   ii. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउण्टेन्ट के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   iii. बैंक द्वारा जारी कार्य आवंटन पत्र की प्रति।
   iv. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार कंपनियों /बैंको के सांविधिक /समवर्ती /अन्य अंकेक्षण से संबंधित जानकारी की प्रति।
   v. बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिस्वीकृति पत्र (प्रारूप अनुबंध अनुसार)
   vi. आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, संलग्न करें।
18. समवर्ती लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हिन्दी में बैंक को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
19. चयनित सनदी लेखापाल के निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई यात्रा व्यय या अन्य चार्जेज बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।

आवेदन निर्धारित प्रारूप में समस्त प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियों के सांथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। संलग्न प्रमाणपत्रों एवं अनुभव के आधार पर ही चयन किया जावेंगा।

अतः इच्छुक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा उपरोक्तानुसार बैंक के सतत् अंकेक्षण कार्य के प्रस्ताव हेतु विस्तृत विवरण सहित स्पष्ट आवेदन –पत्र, समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों के साथ दिनांक 19.07.2021 (कार्यालयीन समय) तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., मुख्यालय, कोठीबाजार, बैतूल के पते पर व्यक्तिगत अथवा डाक से प्राप्त हो जाना चाहिये।

चयन प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने एवं बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT BETUL

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,
बैतूल (म.प्र.)

सनदी लेखाकारों हेतु आवेदन का प्रारूप– वर्ष 2021–22

आवेदन पत्र निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:–

1	आवेदक फर्म का नाम –	
2	आवेदक फर्म का पता –	
3	दूरभाष / मोबाईल नंबर–	
4	ई–मेल आईडी–	
5	फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर–	
6	फर्म का स्थापना वर्ष –	
7	पार्टनर की संख्या–	
8	योग्यता (उपाधि / डिग्री)–	
9	स्टाफ की संख्या–	
10	सीसा / डीसा प्रमाणपत्र है अथवा नहीं–	
11	अंकेक्षण कार्य का अनुभव (वर्ष संख्या लिखे)–	

(कृपया अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करें) सतत अंकेक्षण कार्य हेतु न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है सतत / सांविधिक अंकेक्षण कार्य के अनुभव के संबंध में स्पष्ट विवरण देवे। (अनुभव कार्य की गणना हेतु एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बैंको में किये गये सतत / सांविधिक अंकेक्षण कार्य को एक ही वर्ष मानते हुए गणना की जावे)

व्यवसायिक बैंक का अनुभव (वर्षवार विवरण देवे)		सहकारी बैंक का अनुभव (वर्षवार विवरण देवे)		कुल अनुभव (कुल वर्षो की संख्या)	
सतत अंकेक्षण	सांविधिक अंकेक्षण	सतत अंकेक्षण	सांविधिक अंकेक्षण	सतत अंकेक्षण	सांविधिक अंकेक्षण

टीप:–

1 यदि कालम उपरोक्तानुसार में वर्णित वर्ष समान हो तो कुल अनुभव में उसे एक वर्ष माना जावे।

2 यदि उपरोक्त बिंदुओं एवं अनुभव का विवरण अस्पष्ट होगा तो आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

3 उपरोक्तानुसार अनुभव के वर्षो के तत्संबंधी अनुभव प्रमाण पत्रों को संलग्न किया जाना अनिवार्य है तदनुसार ही अनुभव वर्षो की गणना की जावेगी।

–घोषणा–

यदि मुझे कार्य आबंटित होता है तो भी बैंक द्वारा निर्धारित समस्त शर्ते बैंक को मान्य करूंगा एवं निर्धारित अभिस्वीकृति देने हेतु सहमत हूँ

दिनांक.............

हस्ताक्षर / –
आवेदक फर्म

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT BETUL

LATTER.WK4